

प्रेस विज्ञाप्ति

पटना – 01 मई, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर-शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरुपयोग के संदर्भ में तीन (03) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं—औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01), भोजपुर जिलांतर्गत एक (01) तथा समस्तीपुर जिलांतर्गत एक (01)। इस संदर्भ में दो (02) एफआईआर दर्ज हैं। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के तहत दो (02) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं—भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) एवं समस्तीपुर जिलांतर्गत एक (01) तथा तदनुसार दो (02) एफआईआर दर्ज हैं। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में आठ (08) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं—औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत पाँच (05) एवं सहरसा जिलांतर्गत दो (02)। इस संदर्भ में सात (07) एफआईआर दर्ज हैं।

पुनः आदर्श आचार संहिता के तहत सम्पत्ति विरूपण के संदर्भ में सरकारी सम्पत्ति के तहत दो (02) तथा निजी सम्पत्ति के तहत एक (01) मामला राज्य में प्रतिवेदित हैं।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 30.04.2024 को कुल ₹2.99000(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर-13484.03(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य ₹26.98235(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक झग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल ₹1.46000(लाख) रूपये मूल्य के 2552.15(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल ₹40.38758(लाख) रूपये मूल्य की 3987.30 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल ₹71.81993(लाख) रूपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।